

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा० संख्या 03/19

सन् 2019

आरसीएमएस संख्या 2019/00003

बउनवानी:-

1. महेश कुमार पुत्र शिव कुमार ब्राह्मण नि० मित्रपुरा तह० बौली, जिला सवाईमाधोपुर
बनाम

1. ओम प्रकाश पुत्र गोपीलाल कोली निवासी मित्रपुरा तह० बौली जिला सवाईमाधोपुर
2. प्रभू पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी मित्रपुरा तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार बौली

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बौली द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 368 निर्णय दिनांक 22.11.2018 वाके ग्राम मित्रपुरा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री रमेशचन्द गोयल

वकील अपीलान्त

2. श्री भवंर सिंह जादौन

वकील रेस्पो.

-: निर्णय :-

दिनांक 26.6.2019

अपील अपीलान्त ने तहसीलदार बौली द्वारा दर्ज फैसल, नामा० संख्या 368 निर्णय दिनांक 22.11.2018 वाके ग्राम मित्रपुरा तहसील बौली के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्त को बिना नोटिस दिये बिना सुनवायी का अवसर दिये एवं कब्जे की बिना जाँच किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। क्योंकि विवादि भूमि पर कभी विक्रेता रेस्पो. संख्या 2 का कब्जा नहीं रहा है इसलिए क्रेता रेस्पो. संख्या 1 को कभी कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार तथ्यों की अनदेखी कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि आदेश जैर अपील में अंकित आराजी पर वर्षों से अपीलान्त का कब्जा चला आ रहा है। इस वर्ष सरसों, चना गेहूँ इत्यादि की फसल मौके पर अपीलान्त द्वारा काश्त कर रखी है। यदि कब्जा संबंधी जाँच की जाती और अपीलान्त को सुनवायी हेतु नोटिस दिया जाता तो अपीलार्थी अपना कब्जा साबित करता। अपीलान्त के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत मित्रपुरा की पूर्ण कोरम ने दिनांक 20.12.2018 को मौका देखा है जिसमे अपीलार्थी का कब्जा माना है। इसलिए लेण्ड रेवन्यू एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यह तर्क भी दिया कि विक्रय पत्र के आधार पर नामा० खोलने का 45 दिन तक ग्राम पंचायत को अधिकार प्राप्त है किन्तु रेस्पो. संख्या 3 ने बिना अधिकार नामा० तस्दीक किया है तथा उक्त नामा० मजमेआम मे नहीं खोला गया है। कथन के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त RRD 1994, page 271-272, 496, RRD 1978 page 573-575, 599-602 भी पेश किये गये। यह तर्क भी दिया आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.11.2018 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने पर नकल हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 24.12.2018 को नकल प्राप्त होने पर अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने बाबत वकील अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो० द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 368 दिनांक 22.11.2018 वाके ग्राम मित्रपुरा की आराजी ख० न० 1143 रकबा 0.12 है० ख० न० 1144 रकबा 0.10 है० ख० न० 1148 रकबा 0.17 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है० जो कि रेस्पो. संख्या 2 ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.9.2018 को पु.सं.1 जि.स. 24 पृ. स. 192 में के कम संख्या 2018034941000646 पर रेस्पो. के नाम पंजीबद्ध करवाया गया है के

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आधार पर आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 368 दर्ज फैसल किया गया है तथा उक्त आराजी पर कय दिनांक से ही रेस्पो. का कब्जा रहा है जहाँ तक ग्राम पंचायत की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2018 मे अपीलान्ट का कब्जा दर्शाने की बात है तो बिना राजस्व कर्मचारी यथा गिरदावर, पटवारी के राजस्व भूमि के किस ख0न0 पर किसका कब्जा है तय किया जाना सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायत कोरम को राजस्व रिकार्ड के बारे मे जानकारी नहीं होने के कारण उक्त मौका रिपोर्ट सही नहीं मानी जा सकती है। जहाँ तक उपजिला कलेक्टर बौली जारी स्थगन का प्रश्न है तो उक्त स्थगन आदेश जैर अपील पारित करने के बाद दिया गया है जिसके कारण उक्त स्थगन का आदेश जैर अपील पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्य इस प्रकरण में अंकित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त दृष्टान्त इस प्रकरण लागू नहीं होते है। यह भी तर्क दिया पंजीयबद्ध विक्रय पत्र के आधार तस्दीक किये गये नामा0 को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र निरस्त नहीं कर दिया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 368 विधिसम्मत जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखे जाने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आदेश जैर अपील नामा0 संख्या 368 दिनांक 22.11.2018 वाके ग्राम मित्रपुरा की आराजी ख0न0 1143 रकबा 0.12 है0 ख0न0 1144 रकबा 0.10 है0 ख0न0 1148 रकबा 0.17 कुल किता 3 कुल रकबा 0.39 है0 जो कि रेस्पो. संख्या 2 द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.9.2018 को पु.सं.1 जि.स. 24 पु.स. 192 में के क्रम संख्या 2018034941000646 पर रेस्पो. 1 के नाम पंजीबद्ध करवाया गया है के आधार पर दर्ज फैसल किया गया है तथा वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में अंकित तथ्य इस प्रकरण में अंकित तथ्यों से भिन्न होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण लागू नहीं होते है। इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील से संबंधित आराजीयात को लेकर पक्षकारान के मध्य उपजिला कलेक्टर न्यायालय बौली मे वाद जैरकार है जिसमे पक्षकारान का अधिकार तय होना है। जहाँ तक 45 दिवस तक पंचायत को अधिकार होने का प्रश्न है तो पटवारी हल्का द्वारा नामा0 भरे जाने से करीब 62 दिन बाद तहसीलदार द्वारा नामा0 तस्दीक किया गया है जिसके आधार पर भी आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जिस विक्रय पत्र के आधार पर यह नामा0 तस्दीक किया गया है वह विक्रय पत्र वर्तमान में प्रभावी होने के कारण भी उक्त नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः तहसीलदार बौली द्वारा दर्ज फैसल किये गये नामा0 संख्या 368 दिनांक 22.11.2018 वाके ग्राम मित्रपुरा में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने के कारण हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.6.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

